प्रेस विज्ञप्ति

जनपद बस्ती

दिनांक:-05.10.2020

ग्राम प्रधान प्रतिनिधि/सीएसपी संचालन से हुई लूटकाण्ड का खुलासा, 03 अभियुक्त गिरफ्तार, लूटी गई मो.सा, मोबाइल व अन्य कागजात तथा 2 अदद तमंचा मय 03 अदद जिंदा कारतूस बरामद |

दिनांक:-30.09.2020 को सांयकाल ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ग्राम कबरा थाना मुंडेरवा/सीएसपी संचालक श्री जयप्रकाश वर्मा द्वारा सूचना दिया गया कि वह मुंडेरवा कस्बे से अपने गाँव कबरा जा रहे थे कि रास्ते मे मोटर साइकिल सवार अज्ञात बदमाशों द्वारा उनको बुरी तरह मारपीट कर घायल कर उनकी मोटरसाइकिल अपाची व डिग्गी में रखे बैग व मोबाइल एवं कागजात लूट कर बड़डाड़ की तरफ भाग गए है। उक्त सूचना पर थाना मुंडेरवा पर मु0अ0सं0 240/20 धारा 394 IPC पंजीकृत किया गया। चूंकि उक्त घटना प्रधान प्रतिनिधि के साथ घटित होने से आम जनता/ जनप्रतिनिधियों में काफी आक्रोश व्याप्त था और घटना का अनावरण पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण थी।

उक्त गम्भीरतम सूचना पर तत्काल पुलिस अधिक्षक बस्ती श्री हेमराज मीना द्वारा घटना के अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री रविन्द्र कुमार सिंह के निर्देशन में पुलिस की विभिन्न टीमें गठित की गयी, जिसके क्रम में क्षेत्राधिकारी रुधौली श्री शक्ति सिंह के पर्यवेक्षण में स्वाट टीम प्रभारी श्री राजकुमार पाण्डेय व थानाध्यक्ष मुण्डेरवा श्री अनिल कुमार सिंह मय टीम द्वारा मुखबीर खास की सूचना पर दिनांक:-05.10.2020 को समय 04:25 बजे त्रिमूर्ति तिराहा के पास थाना क्षेत्र मुण्डेरवा से 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, उनके कब्जे से एवं उनके निशानदेही पर लूटी गई मोटर साइकिल अपाची, मोबाइल, व अन्य कागजात तथा घटना में प्रयुक्त अन्य मोटर साइकिल, अवैध तमंचा व कारतूस आदि बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

(1) अभिषेक मोदनवाल पुत्र अजय मोदनवाल निवासी ग्राम बोदवल बाजार थाना मुंडेरवा जनपद बस्ती।

(2) मो.इरफान उर्फ मंटू पुत्र मो.गुफरान निवासी ग्राम चिकवा टोला दक्षिण दरवाजा थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती।

(3) सेराज अहमद पुत्र शब्बीर अहमद निवासी ग्राम मालवीय रोड निकट प्रकाश होटल थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती।

बरामदगी का विवरण:-

(1) मोटर साइकिल अपाची (लूट की) |

(2) मोटर साइकिल होंडा लिवो न0 UP-51-AW-5193 (लूट में प्रयुक्त) |

(3) एक अदद तमंचा 315 बोर व 02 जिंदा कारतूस।

(4) एक अदद तमंचा 12 बोर, एक जिंदा कारतूस।

(5) दो अदद क्रिकेट स्टम्प (घटना में प्रयुक्त) |

(6) वादी का मोबाइल, बैग एवं अन्य कागजात (लूट की) |

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में ज्ञात हुआ कि अभिषेक मोदनवाल व वादी प्रधान प्रतिनिधि जय प्रकाश दोनो सीएसपी (ग्राहक सेवा केंद्र) चलाते है, उक्त व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा थी, जिसमें जयप्रकाश काफी आगे हो गए थे और अभिषेक मोदनवाल का पूर्व में 4 सीएसपी चलता था, अब प्रधान प्रतिनिधि के कारण 1 हो गया, जिससे अभिषेक, प्रधान से ईर्ष्या रखता था, विगत 02 माह पूर्व अभिषेक मोदनवाल व वादी से मुंडेरवा बाजार में गाली-गुप्ता भी हुई थी। इसी बीच अभिषेक की मुलाकात जेल से छूटे मो.इरफान उर्फ मंटू से हुई, मंटू और उसके दोस्त सेराज को पैसे की जरूरत थी, तीनों ने मिलकर योजना बनाई और उसी योजना के तहत दिनांक 30.10.2020 को अभिषेक ने अपने दोस्तों से कहा की मैं क्रिकेट स्टम्प खरीद कर ला रहा हूँ इसी से पहले मारकर उसका हाथ-पैर तोड़ कर मोटर साइकिल सहित पैसा लूट लेना, यदि परिस्थिति बिगड़े तो गोली मार देना। इसी योजना के तहत क्रिकेट स्टम्प खरीद कर लाया और वादी को दूर से ही पहचान करा दिया और रास्ते के बारे में अपने दोस्तों को जानकारी दे दी और पीछे-पीछे लगकर अपनी मोटर साइकिल से रैकी कर घटना कारित किये, परन्तु घटना के बाद हम लोग मोटरसाइकिल के डीग्गी में रखे बैग को चेक किए तो उसमें मात्र 370 रूपए नगद, कागजात व एक मोबाइल मिला था |

अभियुक्त मो.इरफान उर्फ मंटू का आपराधिक इतिहासः-

(1)मु0अ0सं0 643/2017 धारा-147,148,149,323,504,506,392 IPCथाना पुरानी बस्ती, जनपद बस्ती।

(2) मु0अ0सं0 300/2019 धारा-323,504,506,147,308 IPC थाना कोतवाली, बस्ती

(3) मु0अ0सं0 215/2019 धारा 354A,323,452,504,506 IPC थाना पुरानीबस्ती,बस्ती |

(4) मु0अ0सं0 115/2019 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना पुरानीबस्ती, बस्ती |

(5) मु0अ0सं0 240/20 धारा 394, 411 IPC थाना मुंडेरवा, जनपद बस्ती |

(6) मु0अ0सं0 242/20 धारा 3/25 Arms Act थाना मुण्डेरवा , जनपद बस्ती।

अभियुक्त अभिषेक मोदनवाल का आपराधिक इतिहासः-

(1) मु0अ0सं0 93/2018 धारा 376 D, 506 IPC व 67 IT एक्ट थाना मुंडेरवा, बस्ती।

(2) मु0अ0सं0 240/20 धारा 394, 411,120 B IPC थाना मुंडेरवा, जनपद बस्ती

अभियुक्त मो.सेराज का आपराधिक इतिहासः-

(1) मु0अ0सं0 240/20 धारा 394, 411 IPC थाना मुंडेरवा जनपद बस्ती |

(2) मु0अ0सं0 243/20 धारा 3/25 Arms Act थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

(1) उ0नि0 श्री राजकुमार पाण्डेय प्रभारी स्वाट टीम बस्ती।

(2) उ.नि. श्री अनिल कुमार सिंह थानाध्यक्ष मुण्डेरवा, जनपद बस्ती |

(3) उ0नि0 योगेन्द्रनाथ थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती |

(4) उ0नि0 रामदेव थाना मुंडेरवा जनपद बस्ती |

(5) का0 मनोज राय, का0 मनिन्द्रप्रताप चन्द्र, का0 अभिषेक तिवारी, का0 रमेश गुप्ता, का0 रवि शंकर शाह, का0 देवेन्द्र निषाद, स्वाट टीम जनपद बस्ती |

(6) हे0का0 अनिल कुमार, का0 जनार्दन प्रजापति सर्विलांस सेल जनपद बस्ती |

(7) हे0का0मातवर प्रसाद, का0 अभिषेक तिवारी, का0 हनुमान यादव, का0 पंचदेव प्रसाद, थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती।